संख्या- 171/2026/आई/1465739/2026/001-23-14002(003)/12/2026

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-14 लखनऊ, दिनांकः 16 सितम्बर, 2026

विषयः- वित्तीय वर्ष 2026-27 में 3054 वी0आई0पी0 विजिट के 01 कार्य हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासनादेश संख्या- 82/2026/आई/1285715/2026/001-23-14002(003)/12/2026 दिनांक: 31.03.2026 द्वारा विषयगत कार्य की कुल रू0 73.79 लाख (रू0 तिहत्तर लाख उन्यासी हजार मात्र) के सापेक्ष रू0 रु0 44.27 लाख (रूपये चौवालिस लाख सत्ताइस हजार मात्र) की धनराशि प्रथम किस्त के रूप में निर्गत की गयी है। उक्त के क्रम में मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्रांक:- 24537/CE-HQ1/VVIP/BAN/2026-27 दिनांक: 27.08.2026 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वी0आई0पी0 विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था योजनान्तर्गत अधोलिखित तालिका में अंकित कार्य पर वित्तीय वर्ष 2026-27 में द्वितीय/अंतिम किस्त के रूप में रू0 29.03 लाख (रू0 उनतीस लाख तीन हजार मात्र) की अवशेष धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल, सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 स0	जनपद/ खण्ड का नाम	कार्य का नाम	मूल शासनादेश	स्वीकृत/ प्राविधिक लागत	बचत	बचत उपरान्त की लागत	अब तक आवंटन	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	प्रा.ख. चित्रकूट	जनपद चित्रकूट में दिनांक 31.07.2025 को कृषि विज्ञान केन्द्र गनीवा में मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 सरकार के आगमन पर मंच, पण्डाल, हेलीपैड, साउण्ड सिस्टम एवं अन्य विविध कार्य।	82/2026/आई/ 1285715/2026/ 001-23-14002(003)/12/2026	73.79	0.49	73.30	44.27	29.03
				योग				**29.03**

नियम व शर्तें:-

(1) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय, लोक निर्माण विभाग द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो सम्बन्धित अभियन्ता के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

(2) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य के सपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उप्र, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(4) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों की समस्त शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) लोक निर्माण विभाग में प्रणाली समाप्त किए जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बन्धित बजट के ओन लाइन आवंटन किए जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक: 04.05.2022 तथा कार्यमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किए जाने के सम्बन्ध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक: 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) उक्त कार्यों से संबंधित मूल शासनादेश संख्या- 82/2026/आई/1285715/2026/001-23-14002(003)/12/2026 दिनांक: 31.03.2026 की शर्तें/प्रतिबंध यथावत रहेगें।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 29,03,000 (रुपये उनतीस लाख तीन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 3054808000800 वी.आई.पी. विजिट के कार्यों हेतु व्यवस्था **मानक मद** 29 अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक- 28-मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय
राजेश प्रताप सिंह
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव ।</u>

प्रतिलिपि निम्निलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी।
6- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
7- उप सचिव/नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
9- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
11- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
12- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-8/वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

14- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

15- लोक निर्माण अनुभाग-10, उत्तर प्रदेश शासन।

16- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।